F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1735 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1735

विषय / Sub: एक्युमुलेटर, पार्ट सं. 104500000

Accumulator, Part Number: 104500000

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,** असेसरीज प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016 द्वारा अभिकल्पित और विकसित **"एक्युमुलेटर"** पार्ट सं. 104500000 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1735, दिनांक 07 जनवरी 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1735 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक था।

*This is to state that the **"Accumulator"** bearing the Part No.: 104500000, designed and developed by **M/s Hindustan Aeronautics Ltd.,** Accessories Division**,** Barabanki Road, Lucknow-226016 was issued with Type Approval Number: 1735 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1735, dated: 07th January 2012, with its validity up to 31st December 2017.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2018** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसंबर 2022** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आरसीएमए (लखनऊ)** से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st January 2018** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2022** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request, RCMA (Lucknow) **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1735, दिनांक 07 जनवरी 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1735, dated: 07th January 2012 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र **(सेमिलैक)**, बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**, Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA–1735/1R
दिनांक / Date : 29 January 2018
फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

पी. जयपाल / P. JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)